उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 10 | 16-31 मई 2023 | ₹ 20/-

कर्नाटक विधानसभा चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में

- असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध के लिए कानून
- इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध की तैयारी
- एर्दोगन फिर से तुर्किये के राष्ट्रपति बने
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फिर विवादों में

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

कर्नाटक विधानसभा चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में 04
सिविल सेवा परीक्षा में 29 मुस्लिम उम्मीदवार सफल 13
इकबाल पर अध्याय को डीयू ने अपने पाठ्यक्रम से हटाया 14
मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण निर्णय 16
असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध के लिए कानून 18
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फिर विवादों में 18

विश्व

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध की तैयारी 20
मौलवी अब्दुल कबीर अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त 22
जमात-ए-इस्लामी के अमीर पर आत्मघाती हमला 23
अमेरिका आतंकी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करेगा 23
अवैध अप्रवासन की रोकथाम के लिए इटली में नया कानून 24

पश्चिम एशिया

रजब तैयब एर्दोगन फिर से तुर्किये के राष्ट्रपति बने 25
ईरान द्वारा सऊदी अरब में राजदूत की नियुक्ति 27
इराक की एशिया और यूरोप को जोड़ने की योजना 28
सऊदी अरब अंतरिक्ष में यात्री भेजने में सफल 28
ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर झड़प 29

सारांश

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों को हालांकि उर्दू अखबारों ने बहुत ही व्यापक रूप से कवर किया है, मगर उनकी ये कवरेज एकपक्षीय है। उनका पूरा जोर कांग्रेस और राहुल गांधी को महिमामंडित करने और भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने पर ही लगा रहा। अधिकांश उर्दू अखबारों ने इन चुनाव परिणामों का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास भी नहीं किया। मजेदार बात यह है कि एक भी उर्दू अखबार ने कोई ऐसा लेख या संपादकीय प्रकाशित नहीं किया है, जिसमें इन चुनावों में भाजपा के दृष्टिकोण को पेश किया गया हो। अधिकांश उर्दू अखबारों ने इस बात पर जोर दिया है कि अब दक्षिण भारत भाजपा के शासन से मुक्त हो गया है।

इसके साथ ही इन उर्दू अखबारों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों का प्रभाव इसी साल के अंत में होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। अधिकांश उर्दू अखबारों ने कहा है कि कर्नाटक के चुनाव से पूर्व भाजपा द्वारा मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था, वह उसे काफी महंगा पड़ा है। इन अखबारों ने हिजाब, हलाल मांस, टीपू सुल्तान और आरक्षण का विशेष रूप से उल्लेख किया है और तर्क दिया है कि कर्नाटक के मतदाताओं ने सांप्रदायिकता व घृणा की राजनीति को पसंद नहीं किया और मतदान करते समय सेक्युलर दृष्टिकोण को अपनाया।

जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) की हार का विश्लेषण करते हुए इन अखबारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को इस बात की आशंका थी कि अगर जेडीएस अधिक सीटों पर जीतती है, तो वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसलिए भाजपा विरोधी लहर के कारण जेडीएस के मतदाताओं ने भी उसके उम्मीदवारों को मत देने से परहेज किया। उर्दू अखबारों का यह भी निष्कर्ष है कि प्रधानमंत्री मोदी के अजेय होने का जो तिलिस्म था, वह अब पूरी तरह से टूट गया है और यह साबित हो गया है कि अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस एकजुट होकर सही ढंग से चुनाव अभियान का संचालन करती है, तो वह भाजपा को सत्ता से दूर रख सकती है।

तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के समाचार उर्दू अखबारों में छाए रहे। तुर्किये के पिछले 100 साल के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव दो चरणों में करवाना पड़ा। क्योंकि, राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए थे। चुनाव के दूसरे चरण में एक उम्मीदवार द्वारा एर्दोगन का समर्थन करने की घोषणा के बाद स्थिति बदल गई और एर्दोगन 52 प्रतिशत मत लेकर राष्ट्रपति का चुनाव तीसरी बार जीत गए।

खास बात यह है कि आर्थिक दृष्टि से तुर्किये बदहाली का शिकार है। मगर इसके बावजूद वहां की जनता के एक बड़े वर्ग ने एर्दोगन को अपने मत दिए। एर्दोगन को पश्चिम विरोधी और रूस समर्थक माना जाता है। एर्दोगन की जीत के बाद अब मुस्लिम जगत में अपना प्रभाव जमाने के लिए तीन विश्व शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। इनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। अमेरिका ने इजरायल के साथ अरब देशों के राजनयिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए 'अब्राहम समझौते' का जो सिलसिला शुरू किया था, उसे चीन ने मिट्टी में मिला दिया है।

पाकिस्तान में स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के बीच संघर्ष जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने यह संकेत दिया है कि पाकिस्तान सरकार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान राजनीति की आड़ में देश में आतंकवाद फैला रहे हैं। वहीं, इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना उनकी पार्टी के नेताओं और कैडर पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि वे उनसे अपना नाता तोड़ लें। इस तरह से पाकिस्तान का शासक वर्ग उनकी पार्टी के वजूद को खत्म करना चाहता है। उन्होंने दावा किया है कि वे पाकिस्तानी जनता की असल आजादी के लिए खून के आखिरी कतरे को भी बहाने के लिए तैयार हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव उर्दू प्रेस की नजर में

कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणामों को लगभग सभी उर्दू अखबारों ने विस्तृत रूप से कवर किया है। अधिकांश अखबारों ने इन चुनाव परिणामों का स्वागत करते हुए यह दावा किया है कि अब दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का तिलिस्म भी अब पूरी तरह से टूट गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा विजयी होने के दावे की भी कलई खुल गई है। उर्दू अखबारों का कहना है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणामों ने इस बात का संकेत दे दिया है कि पूरे देश से भाजपा के सफाए का अभियान शुरू हो गया है। भाजपा द्वारा हिंदुत्व से संबंधित नफरत का जो माहौल राज्य में बनाया गया था, वह तुरुप का पता भी इन चुनावों में नहीं चला है।

रोजनामा सहारा (19 मई) के समूह संपादक अब्दुल माजिद निजामी ने अपने लेख में कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो यात्रा' का जो मॉडल तैयार किया गया था, वह सफल रहा है। राज्य में 21 ऐसे विधानसभा चुनाव क्षेत्र थे, जहां से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला गुजरा। इनमें से 16 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को सफलता मिली है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के साथ ही कांग्रेस के उज्जवल भविष्य की शुरुआत हो गई है।

इंकलाब (18 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव परिणामों से मीडिया का यह दावा गलत साबित हुआ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावों में वोट नहीं बटोर सकते। कर्नाटक में कांग्रेस 43 प्रतिशत वोट हासिल करके सत्तारूढ़ हो गई है। इस बात का खूब प्रचार किया जा रहा था कि 'जीतेगा तो मोदी ही' और उनका कोई विकल्प नहीं है। हालांकि, यह केवल दुष्प्रचार मात्र था।

इंकलाब के इसी अंक में परवेज हफीज ने अपने एक लेख में यह दावा किया है कि कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए ठंडी

हवा का झोंका है। लेखक ने कहा है कि कर्नाटक की जीत का श्रेय अगर राहुल गांधी को न भी मिले, तो इसकी हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को जरूर मिलनी चाहिए। क्योंकि, भाजपा के हाई-प्रोफाइल चुनावी अभियान का चेहरा मोदी ही थे। बजरंग दल जैसे शरारती संगठन पर प्रतिबंध के कांग्रेसी आश्वासन को, मोदी ने जिस तरह से बजरंगबली पर प्रतिबंध में बदला, वह उनकी सबसे बड़ी सियासी बदनीयती का सबूत है।

इंकलाब (17 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि भाजपा की मशीनरी के सभी दावों को कर्नाटक की जनता ने मिट्टी में मिला दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक के चुनाव परिणामों ने कई धारणाओं को गलत साबित किया है। पहली धारणा यह कि अगर गैर-भाजपा पार्टियां चुनाव में सफलता पाना चाहती हैं, तो उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनकी जुबान से कोई ऐसा शब्द न निकले, जिसे भाजपा तोड़-मरोड़कर उसका सियासी फायदा उठा सके। जैसे 'मौत का सौदागर', 'चायवाला' या 'नीच' जैसे शब्दों से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया था। कर्नाटक में कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह केवल एक कल्पना मात्र थी। दूसरी यह कि इन चुनाव परिणामों से आरएसएस की चुनावी मशीनरी के प्रभाव की कलई खुल गई है और संघ के स्वयंसेवक घर-घर जाकर संपर्क करने के बाद भी वोट पाने में विफल रहे हैं। तीसरी धारणा यह भी निराधार साबित हुई कि भाजपा का बूथ मैनेजमेंट अचूक है। चौथी धारणा यह भी काल्पनिक साबित हुई कि मोदी के जादू और करिश्मे का कोई तोड़ नहीं है।

रोजनामा सहारा (19 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि महिलाओं और मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो दावा भाजपा कर रही थी, उसकी कलई चौराहे पर खुल गई है। इन चुनाव परिणामों से यह भी सिद्ध हुआ है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए जो नीति तैयार की थी, वह विफल रही है। अब मुसलमानों के कैडर को तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया जा रहा है, जिसमें मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार भी शामिल होंगे।

इंकलाब (16 मई) के संपादकीय में यह कहा गया है कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों से यह साबित हो गया है कि वहां की जनता ने हिंदुत्व को ठुकरा दिया है। हालांकि, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यह कि इस राज्य की जनता के खून में सांप्रदायिकता नहीं है। इसलिए वहां की जनता ने कभी भी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है। हिंदू मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए संघ परिवार ने हिजाब और हलाल के मुद्दों के साथ-साथ टीपू सुल्तान के बारे में जो विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह विफल रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि अब भाजपा को नई चुनावी रणनीति बनाने पर विचार करना होगा।

सियासत (14 मई) ने यह दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 136 सीटें जीत कर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है।

पिछले 30 सालों में कांग्रेस ने कभी इतनी सीटें नहीं जीती थी। कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर सफलता मिली थी। जबकि 1999 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 132 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 40.84 था, जो अब बढ़कर 42.9 प्रतिशत हो गया है। इस बार के चुनाव में भाजपा को 36 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं और 65 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस को 13 प्रतिशत वोट मिले हैं और 19 सीटों पर जीत हासिल हुई है।

सियासत (14 मई) ने अपने संपादकीय में दक्षिण भारत से भाजपा को मुक्त करने के लिए कर्नाटक की जनता को बधाई दी है और कहा है कि इससे साफ है कि देश के राजनीतिक भविष्य की दीवार पर क्या लिखा है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने समाज में जो नफरत फैलाने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से विफल रही है। समाचारपत्र ने कांग्रेस को बधाई देते हुए कहा है कि पिछले नौ सालों में पहली बार कांग्रेस ने किसी राज्य में एकजुट होकर चुनाव लड़ा और नेताओं ने आपसी मतभेदों को ताक पर रखकर पार्टी की जीत के लिए जोरदार संघर्ष किया।

सियासत (14 मई) ने कनार्टक के चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में सफल रही है और जेडीएस के किंगमेकर बनने का सपना चकनाचूर हो गया है। जबकि भाजपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनने में सफल रही है।

विभिन्न नेताओं के चुनावी अभियान का विश्लेषण करते हुए इसी समाचारपत्र ने एक अन्य संपादकीय में यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में यह कहा जाता था कि वे वोट प्राप्त करने में पार्टी के लिए तुरुप का पत्ता हैं। मगर कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्हें पछाड़ दिया है। नरेन्द्र मोदी ने 42 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की थी। मगर उनके उम्मीदवार सिर्फ 20 सीटों पर ही सफल हो पाए हैं। दूसरी तरफ, अमित शाह ने 30 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार किया था। मगर उनके सिर्फ 11 उम्मीदवार ही इन क्षेत्रों से जीतने में सफल हुए हैं।

जबकि राहुल गांधी ने जिन 22 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया था, उनमें से 16 पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसी तरह से प्रियंका गांधी ने 27 विधानसभा में चुनावी प्रचार किया, जिनमें से 17 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली है।

सियासत (21 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात की चर्चा की है कि चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच जो रस्साकशी हुई थी, वह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को सांप्रदायिक मानसिकता से राज्य को मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाना होगा। भ्रष्टाचार के खात्मे पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार पर निशाना साधकर ही भाजपा को घेरा था। भाजपा ने हलाल मांस, हिजाब और टीपू सुल्तान की आड़ लेकर समाज में जो नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया था, उसे भी समाप्त करने के लिए नई सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का विशेष रूप से प्रयास करना होगा। इसके साथ ही रोजगार का भी सृजन करना होगा।

औरंगाबाद टाइम्स (14 मई) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, 'मोदी का जादू नहीं चला'। 'मुसलमानों ने आगे बढ़कर कांग्रेस को वोट दिए'। 'राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका व खड़गे की मेहनत रंग लाई'। 'कांग्रेस की बंपर जीत'। 'दक्षिण भारत से भाजपा का पूर्ण सफाया'। 'अगले साल के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी

के भावी प्रधानमंत्री के रूप में उभरने की संभावना'। समाचारपत्र ने इसी अंक के एक अन्य समाचार में कहा है कि इस बार के चुनावों में नौ मुस्लिम विधायक जीते हैं। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सात मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। जीतने वाले सभी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (18 मई) के अनुसार इन चुनावों में जीतने वाले 224 उम्मदीवारों में से 97 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। जबकि 55 प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार चार प्रतिशत महिलाएं चुनाव जीतने में सफल रही हैं।

अवधनामा (14 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 'मोहब्बत की जीत' हुई है। समाचारपत्र ने कहा है कि कर्नाटक में हर पांच साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है। राज्य में क्योंकि भाजपा ने खास तौर पर मुसलमानों को परेशान किया था, इसलिए उन्होंने आंख बंद करके कांग्रेस को वोट दिए। समाचारपत्र ने कहा है कि कर्नाटक में भाजपा की नफरत की राजनीति की हार है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह 'नफरत पर मोहब्बत' की जीत है।

अवधनामा (16 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में भाजपा की हार से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से भी भाजपा को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को जीत की बधाई दी है। हालांकि, भाजपा के नेताओं का दावा है कि हमारा वोट प्रतिशत बरकरार है और हमारी सीटों की संख्या में कमी होने का कारण यह है कि विपक्ष को मिलने वाले मत विभाजित नहीं हुए हैं।

समाचारपत्र ने कहा है कि इस जीत का श्रेय मुसलमानों को जाता है, जिन्होंने लोकतंत्र, भाईचारा और गंगा-जमुनी तहजीब को बचाने के लिए वोट किया है और सांप्रदायिकता का बीज बोने वाली पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। समाचारपत्र ने कहा है कि 2024 के आम चुनाव में मुसलमानों के वोटों को साधने के लिए कांग्रेस को विशेष प्रयास करने होंगे। इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस की सफलता से यह संकेत मिलेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता किसके हाथ लगेगी।

अवधनामा (22 मई) ने अपने संपादकीय में कर्नाटक के चुनावों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाया और कांग्रेसी नेताओं की आपसी भीतरघात को उजागर नहीं होने दिया। अगर यही माहौल जारी रहा, तो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को पुनः पा सकती है। इसके लिए कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना होगा।

अवधनामा (17 मई) ने कांग्रेस में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो अंदरूनी रस्साकशी हुई थी, उस पर चिंता व्यक्त की है।

अवधनामा (25 मई) ने एक मुस्लिम विधायक यू.टी. खादर को कर्नाटक विधानसभा का अध्यक्ष बनाने के लिए राहुल गांधी को बधाई दी है।

सियासत (15 मई) ने अपने संपादकीय में कांग्रेस को यह सलाह दी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी को आत्ममुग्धता से दूर रहना चाहिए और संगठनात्मक एकता को बनाए रखना चाहिए। कर्नाटक की जीत ने यह भी संदेश दिया है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस की सफलता के लिए यह जरूरी है कि उस राज्य के नेताओं में एकता की भावना हो और वे एक दूसरे की जड़ें काटने से दूर रहे। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस को लापरवाह नहीं होना चाहिए,

बल्कि उसे हर दिन के हालात पर गहरी नजर रखनी चाहिए। जिन राज्यों में कांग्रेस की भाजपा से सीधी टक्कर है, वहां पर भाजपा की रणनीति पर विशेष रूप से नजर रखने की जरूरत है। राजस्थान में दो नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो मतभेद उभर रहे हैं, वह कांग्रेस के भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है।

सियासत (17 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दृष्टिकोण में बदलाव आया है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जहां पर कांग्रेस की सीधी टक्कर भाजपा से है, वहां पर अन्य विपक्षी दलों को कांग्रेस का समर्थन करके उसे मजबूत बनाना चाहिए। जबकि जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हैं, वहां पर कांग्रेस को उन दलों का समर्थन करना चाहिए, ताकि चुनाव में भाजपा को पराजित किया जा सके।

इत्तेमाद (14 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का घमंड भाजपा को ले डूबा है। समाचारपत्र ने कहा है कि हमने जो भविष्यवाणी की थी कि इन चुनावों में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जनता को अपना मुंह नहीं दिखा सकेंगे, वह सच साबित हुई है। भाजपा के विपुल आर्थिक साधन और भावी विकास की अरबों रुपये की परियोजनाएं भी मतदाताओं को भाजपा की ओर मोड़ने में विफल रही हैं। मीडिया प्रबंधन भी भाजपा को सफलता दिलाने में विफल रहा है।

समाचारपत्र ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के सशक्त होकर उभरने की संभावना बढ़ गई है। इस बार जो नौ मुस्लिम विधायक जीते हैं, उन सभी का संबंध कांग्रेस से है। राज्य में मुस्लिम मतदाता 13 प्रतिशत हैं और जेडीएस ने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 23 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। मगर उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। 2008 के विधानसभा चुनाव में नौ मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, जिनकी संख्या 2013 में बढ़कर 11 हो गई। 2018 में भी नौ मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इनमें से सभी का संबंध कांग्रेस से था।

अवधनामा (14 मई) ने यह दावा किया है कि कर्नाटक के चुनाव परिणामों का प्रभाव तेलंगाना की राजनीति पर भी पड़ेगा और वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के भारी संख्या में जीतने की संभावना है। राज्य में मुस्लिम आबादी 13 प्रतिशत है और 119 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर जीत की कुंजी मुसलमानों के हाथ में है। हैदराबाद में मुसलमानों की आबादी 17 लाख है, जो कि राज्य की मुस्लिम आबादी का 43 प्रतिशत है। ग्रेटर हैदराबाद में 24 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें से 10 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाचारपत्र ने दावा किया है कि यदि राज्य में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस)

दलितों और मुसलमानों के एक बड़े हिस्से के मतों को बटोरने में सफल रहती है, तो वह बड़ी आसानी से राज्य में तीसरी बार सत्ता में आ सकती है।

इत्तेमाद (15 मई) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यह आशा व्यक्त की है कि अब कांग्रेस कर्नाटक की जनता से किए गए अपने वायदों को पूरा करेगी।

इसी समाचारपत्र ने 15 मई के संपादकीय में कहा है कि दक्षिण भारत में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरने वाली भाजपा की उम्मीदों को कर्नाटक के चुनावों ने धूल में मिला दिया है। भाजपा के नेता इस गलतफहमी में थे कि उन्हें चुनाव में कभी कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए उन्होंने खुलेआम यह कहना शुरू कर दिया था कि उन्हें मुस्लिम मतों की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इस हार से उनकी आंखे खुल जानी चाहिए। क्योंकि मुसलमानों के मत किसी भी राज्य की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

इत्तेमाद (21 मई) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक के चुनाव में भाजपा की विफलता के लिए उसके अंधभक्त सेक्युलर हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे हैं और उन्हें मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक करार दे रहे हैं। हालांकि, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत सेक्युलरिज्म की जीत है। बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने को भी भाजपा भुनाने में विफल रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि इन चुनाव परिणामों से यह भी साबित हो गया है कि इस देश की जनता को सेक्युलरिज्म से मोहब्बत है और वह भाजपा की 'नफरत की राजनीति' को पसंद नहीं करती है।

इत्तेमाद (21 मई) ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। कर्नाटक में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा ने हिजाब, हलाल, लव जिहाद, जमीन जिहाद और टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे खड़े किए थे। मुसलमानों को आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेलने के लिए 2022 में उनके आर्थिक बहिष्कार का विशेष अभियान चलाया गया था और हिंदुओं में इस बात का प्रचार किया गया था कि वे किसी मुसलमान से कोई सामान न खरीदें। चुनाव जीतने के लिए खुद नरेन्द्र मोदी ने जनता से अपील की कि वे फिल्म 'द केरल स्टोरी' को जरूर देखें।

वहीं, कांग्रेस ने जनता के दिलों में जहर भरने की बजाय भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर किया और 'पांच गारंटी योजना' का प्रचार करके सभी के दिलों को जीतने की कोशिश की। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये मासिक भत्ता, बेरोजगार स्नातक युवकों को 3000 रुपये मासिक भत्ता और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों (18-25 वर्ष के) को दो साल के लिए 1500 रुपये, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के हर सदस्य को 10 किलोग्राम मुफ्त चावल और सार्वजनिक परिवहन बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा कराने का वादा किया है।

इन घोषणाओं का मजाक उड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे 'मुफ्त की रेवडियां' करार दिया था। मगर यह मजाक उन्हें महंगा पड़ा है। भाजपा ने अपनी संभावित हार को देखते हुए सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाया था कि वह कर्नाटक को भारत से अलग करने का अभियान चला रही हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि नौ सालों में मोदी जी 'कांग्रेस मुक्त भारत' तो नहीं बना सके। लेकिन दक्षिण भारत जरूर मोदी और भाजपा मुक्त हो गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 मई) ने एक समाचार प्रकाशित करते हुए उसका शीर्षक दिया है, 'भाजपा की नफरत को हार और कांग्रेस की मोहब्बत को जीत मिली'। 'हिजाब, अजान, हलाल

मांस, टीपू सुल्तान, बजरंग बली और आरक्षण का शोशा विफल'। 'मोदी, योगी और अमित शाह का जादू इन चुनावों में नहीं चला'। 'जेडीएस के किंगमेकर बनने का सपना चकनाचूर'।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अब कांग्रेस के अच्छे दिन आ गए हैं और कर्नाटक में मोदी के जादू का कोई असर नहीं हुआ है। क्योंकि, जनता को मोदी के वायदों की सच्चाई का पता लग चुका है।

सालार (14 मई) ने कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणामों के समाचार को मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित करते हुए उसका शीर्षक दिया है, 'रंग लाई मुसलमानों की एकजुट वोटिंग'। 'कर्नाटक में किंग बनी कांग्रेस, भाजपा का सफाया'। 'जबर्दस्त तूफान में किंगमेकर भी उड़ गए'। समाचारपत्र ने दावा किया है कि धीरे-धीरे भाजपा का पूरे देश से सफाया हो रहा है। 2014 के चुनाव से पहले छह राज्यों में भाजपा सत्तारूढ़ थी, जो 2018 में बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंच गई। अब 15 राज्यों में या तो भाजपा अपने बल पर या फिर अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में है।

सालार ने इसी अंक के एक अन्य समाचार में यह दावा किया है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है और अब दक्षिण भारत के पांच राज्यों में से किसी में भी भाजपा सत्तारूढ़ नहीं है। इन राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं, जिनमें 29 पर भाजपा जीती है।

सालार (14 मई) में प्रकाशित एक लेख में जफर आगा ने यह दावा किया है कि कर्नाटक में हार से भाजपा की जीत का तूफान थमना शुरू हो गया है। इन चुनावों के सियासी संकेत बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें पहला तो यह कि भाजपा का चुनावी फॉर्मूला हिंदुत्व अपनी अपील खो रहा है। मुस्लिम दुश्मनी का तुरुप का पत्ता भी अब ढेर हो गया है। पिछले वर्ष भाजपा ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुस्लिम विरोधी नीति खुलकर अपनाई थी, जिसके तहत राज्यों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। टीपू सुल्तान को हिंदू दुश्मन करार दिया गया। बजरंग दल जैसे संगठनों ने लव जिहाद का शोर मचाया। मगर जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो इन तमाम मुद्दों पर भाजपा चुप्पी साध गई। कर्नाटक चुनाव का दूसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि नरेन्द्र मोदी का जादू विफल रहा है। इससे पहले भी वे हिमाचल और पश्चिम बंगाल में अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। तीसरा संकेत यह कि अब चुनावों में मतदाता धर्म के नाम पर कम और जातियों के नाम पर ज्यादा वोट डाल रहे है। कर्नाटक में भाजपा के समर्थक लिंगायत वोट बैंक ने भाजपा से अपना मुंह मोड़ लिया है। हालांकि, देवगोडा की जेडीएस इसे भुनाने करने में सफल रही है।

कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी सिद्ध हुई है और लगभग दम तोड़ती कांग्रेस में नए रक्त का संचार हुआ है। प्रियंका गांधी भी राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रही हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत का श्रेय प्रियंका गांधी को जाता है। मगर कर्नाटक में भी उनके प्रभाव में कोई कमी नहीं आई है। अब इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जीतने की संभावना बढ़ गई। अगर इन दो राज्यों में कांग्रेस जीत गई, तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस महत्त्वपूर्ण विपक्षी दल के रूप में उभर सकती है।

सालार (14 मई) ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि इस जीत का कारण भ्रष्टाचार, कमीशन, रिश्वतखोरी और भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा है। मोदी ने जनता के वोट बटोरने के लिए नफरत का जो माहौल बनाने की कोशिश की थी, वह विफल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ पृथकतावाद और लिंगायत समुदाय की उपेक्षा के जो आरोप लगाए थे, उसका भी कोई लाभ नहीं हुआ है। बजरंग बली भी उनकी

सहायता के लिए मैदान में नहीं आए। बेल्लारी में मोदी ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' की आड़ लेकर लव जिहाद का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, मगर उनका यह प्रयास भी विफल रहा। अजीब बात यह है कि महीनों तक अखबारों की सुर्खियों में छाए रहने वाले हिजाब के मुद्दे की इन चुनावी अभियानों में चर्चा तक नहीं हुई। भाजपा ने कर्नाटक में 9125 रैलियां और 1377 रोड शो किए थे, मगर इसके बावजूद भी जनता ने उसको मुंह नहीं लगाया।

सालार (16 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की नई परीक्षा शुरू हो गई है। उसने अपने चुनावी घोषणापत्र में जो वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने का समय आ गया है।

सालार (16 मई) ने एक लेख में इस बात पर जोर दिया है कि कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को गफलत में नहीं रहना चाहिए और जनता को जो आश्वासन दिए हैं, उनको पूरा करना चाहिए।

सालार (17 मई) ने अपने संपादकीय में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने के कांग्रेसी वायदे को पूरा करने पर जोर दिया है और कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को यह आशा रहती है कि उन्हें सत्ता में हिस्सा मिलेगा। इसलिए मुसलमानों की समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह भी जरूरी है कि एक मुसलमान उपमुख्यमंत्री और चार मुस्लिम मंत्री होने चाहिए। अब सत्ता बदलते ही बरसाती मेंढकों की तरह लोग मैदान में आ गए हैं और वे कांग्रेसी न होने के बावजूद कांग्रेसी होने का दावा करके सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं।

सालार (17 मई) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि अमित शाह की चाणक्य नीति कर्नाटक में विफल रही है। इसी अंक में यह भी दावा किया गया है कि अगर विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा की नीतियों का पर्दाफाश करते हैं, तो उसे आसानी से धूल चटाई जा सकती है। अभी तक कांग्रेस ने मुसलमानों के हितों और उसके नेतृत्व को नजरअंदाज किया है। हैरानी की बात यह है कि सेक्युलर पार्टियां भी हिंदू बैकलैश के कारण मुसलमानों की समस्याओं पर आंखें बंद कर लेती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमान एकजुट हों और लोकसभा के चुनाव में अपने वोट बैंक के महत्व का विभिन्न राजनीतिक दलों को अहसास कराएं।

इसी अंक में प्रकाशित एक अन्य लेख में गुलाम गौस ने कहा है कि मुसलमानों को वोट डालने में विशेष रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि मुसलमानों के वोट विभाजित न हों। छोटी पार्टियों के कमजोर और चुनाव न जीतने वाले उम्मीदवारों को मुसलमानों को अपना वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वह हमारा भाई ही क्यों न हो। मुसलमानों को उस उम्मीदवार को मत देना चाहिए, जो भाजपा को सत्ता से हटाने में सक्षम हो। इसके साथ ही एक ही सीट पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़े करने से बचना चाहिए, ताकि मुसलमानों के वोट विभाजित न हों।

सालार (19 मई) ने अपने संपादकीय में सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के बीच बढ़ते हुए मतभेदों को कांग्रेस के भविष्य के लिए

खतरनाक बताया है और हाईकमान से अपील की है कि वह राज्य के कांग्रेसियों को एकजुट बनाए रखने का प्रयास करे।

कौमी तंजीम (15 मई) ने कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण करते हुए कहा है कि कर्नाटक के चुनाव में जीत के कारण कांग्रेसियों को काफी दिन के बाद खुश होने का मौका मिला है। इस जीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की विशेष भूमिका है। यह चुनाव उस समय हुआ जब देश में लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म का वजूद खतरे में नजर आ रहा था। समाचारपत्र ने कहा कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों के आरक्षण में वृद्धि करनी चाहिए और बजरंग दल एवं पॉपुलर फ्रंट पर प्रतिबंध लगाकर यह संकेत देना चाहिए कि कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ है। कांग्रेस सरकार को स्थानीय मुद्दों के समाधान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। भाजपा ने हिजाब, लव जिहाद, हलाल मांस और मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान देने का जो मुद्दा बनाया था, उसे रोकने की जरूरत है। हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए भाजपा द्वारा समान नागरिक संहिता के मुद्दे के बारे में भी जनता को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि, कांग्रेस ने बहुमत तो प्राप्त कर लिया है। मगर उसे अपने वायदे पूरे करने और एकजुट होने की ओर भी खास ध्यान देना चाहिए।

सालार (23 मई) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि कर्नाटक की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति करने वालों को ठुकरा दिया है। मुसलमान देश को शांति और व्यवस्था का केंद्र बनाना चाहते हैं, इसलिए सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को विशेष प्रयास करना चाहिए।

सालार (24 मई) ने यू.टी. खादर को विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है और यह आशा व्यक्त की है कि सरकार मुसलमानों के साथ न्याय करेगी। पहले खादर ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मंत्री पद पाने के इच्छुक थे। मगर बाद में कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें यह आश्वासन देकर मना लिया कि वे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सिर्फ दो वर्ष के लिए कार्य करें। इसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा।

सालार (24 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर जोर दिया है कि प्रशासन में जो संघी मानसिकता के लोग नियुक्त हैं, उन्हें तत्काल उनके पद से हटाया जाए और जनता से किए गए वायदों को पूरा किया जाए।

सालार (26 मई) ने अपने संपादकीय में कर्नाटक को देश की राजनीति में एक मॉडल करार दिया है। और कहा है कि देश की राजनीति में सांप्रदायिक एजेंडे के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए देश की जनता को भारत की संस्कृति और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन देना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का माहौल बना है, उसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।

सालार (25 मई) ने अपने संपादकीय में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि सत्ता से वंचित होने के बाद भाजपा ने फिर से राज्य में सांप्रदायिकता के मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है। हाल ही में भाजपा के एक विधायक ने राज्य के मुख्यमंत्री पर 24 हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके तुरंत बाद अनेक टीवी चैनलों ने राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा गोवध निरोधक कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने के बयान का उल्लेख किया है। इसके साथ ही भाजपा ने इस बात की धमकी दी है कि अगर नई सरकार ने पुरानी सरकार के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया, तो इससे राज्य में धर्म दंगल शुरू हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व ने चुनाव से पूर्व इस बात की घोषणा की थी कि सत्ता में आने के बाद वह भाजपा द्वारा जनता पर लादे गए विवादित कानूनों को वापस लेगी। ■

सिविल सेवा परीक्षा में 29 मुस्लिम उम्मीदवार सफल

इंकलाब (30 मई) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग 2022 की प्रतियोगी परीक्षाओं में 29 मुस्लिम उम्मीदवार सफल रहे हैं। इस बार इन परीक्षाओं में 933 उम्मीदवार सफल रहे हैं, जिनमें शीर्ष के 10 उम्मीदवारों में एक मुस्लिम और 100 उम्मीदवारों में तीन मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के वसीम अहमद बट्ट को सातवां स्थान हासिल हुआ है। जबकि नवीद अहसान बट्ट को 84वां और असद जुबैरी को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों में 11 महिलाएं भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि 933 सफल उम्मीदवारों मे से 345 सामान्य श्रेणी से सफल हुए हैं। जबकि 99 ईडबल्यूएस कोटे से सफल हुए हैं। वहीं, 263 उम्मीदवार ओबीसी कोटे से सफल रहे हैं, तो 154 अनुसूचित जाति के कोटे से और 72 अनुसूचित जनजाति के कोटे से सफल रहे हैं। इन उम्मीदवारों में से 38 को विदेश सेवा, 180 को आईएएस, 200 को आईपीएस और 473 को केंद्रीय सेवाओं के लिए चुना गया है।

जकात फाउंडेशन के प्रमुख सैयद जफर महमूद ने कहा कि इस साल मुस्लिम उम्मीदवारों का चयन ठीक ठाक रहा है। 88 मुस्लिम उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 29 ने सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया मुस्लिम बच्चों को इन परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु 50 से अधिक जिलों में अपने केंद्र चला रही है, जिनका संचालन पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं। एक अन्य केंद्र के प्रमुख अतीकुर रहमान सिद्दीकी ने कहा है कि हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में ज्यादा मुसलमान चुने गए हैं। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पदों की संख्या में ज्यादा वृद्धि हुई है। इसके बावजूद मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी है।

सिद्दीकी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में मुस्लिम उम्मीदवारों के अनुपात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हम अल्पसंख्यक उम्मीदवारों की मुफ्त कोचिंग के नाम पर जो धनराशि खर्च कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें कम कामयाबी मिल रही है। हम 20-30 उम्मीदवारों से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम उम्मीदवारों के लिए हर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी मेन्स की परीक्षाओं में मुसलमानों के कट ऑफ मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। इसलिए मुस्लिम उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं में सफलता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रोजनामा सहारा (30 मई) ने यूपीएससी की परीक्षाओं में सफल होने वाले मुस्लिम उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं- वसीम अहमद बट्ट, नवीद अहसान

बट्ट, असद जुबैरी, आमिर खान, रूहानी, आयशा फातिमा, शेख हबीबुल्ला, जुफिशान हक, मनान बट्ट, आकिप खान, मोईन अहमद, मोहम्मद ईदुल अहमद, अरशद मोहम्मद, रशीदा खातून, ऐमन रिजवान, मोहम्मद रिस्विन, मोहम्मद इरफान, सैयद मोहम्मद हुसैन, काजी आयशा इब्राहिम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद शदा, तस्कीन खान, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ, अखिला बी.एस., मोहम्मद बुरहान जमान, फातिमा हारिस, इरम चौधरी और शेरिन शाहाना टी.के.।

टिप्पणी: इससे पूर्व 2021 की सिविल सेवा परीक्षाओं में सिर्फ 25 मुस्लिम उम्मीदवार ही सफल हुए थे। जबकि 2020 में 31, 2019 में 44, 2018 में 28, 2017 में 50, 2016 में सबसे अधिक 52 उम्मीदवार सफल हुए थे। जबकि 2015 में 34 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे। 2014 में 38, 2013 में 34, 2012 में 30, 2011 में 31, 2010 में 21 और 2009 में 31 मुस्लिम उम्मीदवार सफल हुए थे।

इस समय दस मुस्लिम संस्थानों द्वारा इन अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में भाग लेने के लिए तैयारी करवाने वाले 51 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुफ्त भोजन, आवास और पुस्तकों की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा भी इन परीक्षाओं में जो मुस्लिम उम्मीदवार शामिल होते हैं, उन्हें डेढ़-डेढ़ लाख रुपये आर्थिक अनुदान दिया जाता है। ■

इकबाल पर अध्याय को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम से हटाया

औरंगाबाद टाइम्स (28 मई) के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने बीए में राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से उर्दू के विवादित शायर और 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' कविता के रचयिता सर मोहम्मद इकबाल से संबंधित एक अध्याय को हटाने का फैसला किया है। अब इस फैसले पर अंतिम मुहर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद लगाएगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की एक बैठक हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल से संबंधित एक अध्याय को हटाने का फैसला किया गया था। इस अध्याय का शीर्षक है, 'मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट'। यह बीए के छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल था।

संघ से संबंधित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस फैसले का स्वागत किया है। एकेडमिक काउंसिल के एक सदस्य ने बताया कि राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में संशोधन करने के संबंध में एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत इकबाल से संबंधित अध्याय को पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला हुआ है। एकेडमिक काउंसिल के छह सदस्यों का कहना है कि इकबाल से संबंधित अध्याय को खारिज करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों से कोई राय नहीं ली गई।

गौरतलब है कि इससे पूर्व एनसीईआरटी ने भी 12वीं कक्षा के इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के पाठ्यक्रमों में संशोधन किया था और इतिहास के पाठ्यक्रम से मुगल साम्राज्य, मौलाना आजाद आदि नेताओं के बारे में उल्लेख को हटा दिया गया था।

बता दें कि मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्र कवि हैं। उनका जन्म अविभाजित भारत के सियालकोट (अब पाकिस्तान) में हुआ था। इकबाल की रचनाओं के अध्ययन से यह साफ

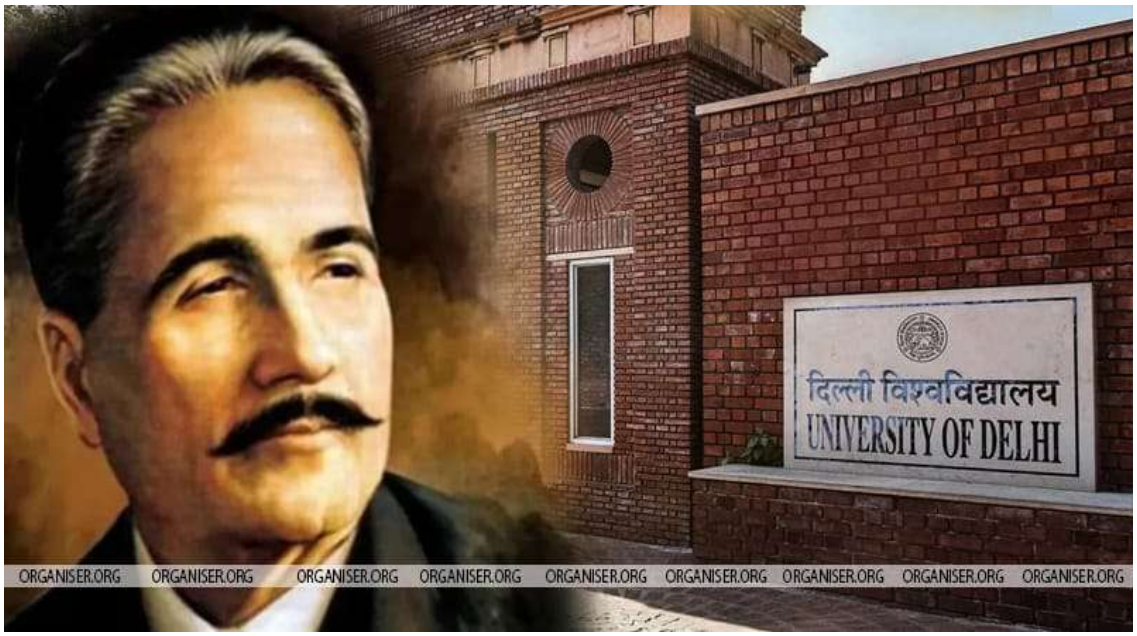

पता चलता है कि उन्होंने कई बार अपने दृष्टिकोण और सिद्धांतों को बदला था। कभी वे राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा' जैसी कविता लिखी थी। मगर बाद में वे कट्टर मुस्लिम बन गए और उन्होंने 'तराना-ए-मिल्ली' की रचना की, जिसका शीर्षक है, 'मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा।'

अपनी इस कविता में इकबाल ने महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने की घटना को भी महिमामंडित किया था। साल 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इलाहाबाद में हुए अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का विधिवत प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे स्वयं मोहम्मद इकबाल ने पेश किया था। इसके अतिरिक्त इस्लामिक इतिहास के बारे में भी उनकी दो पुस्तकों की विशेष रूप से चर्चा की जाती है, जिनके शीर्षक हैं- 'शिकवा' और जवाब-ए-शिकवा'। इन पुस्तकों में इस्लाम के कट्टर पक्ष को महिमामंडित किया गया है और इस्लामिक साम्राज्य के पतन पर दुख प्रकट किया गया है।

इंकलाब (29 मई) के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से इकबाल से संबंधित अध्याय को खारिज करने का कुछ वर्गों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. इम्तियाज अहमद ने इस फैसले को सांप्रदायिक मानसिकता से प्रेरित बताया है और कहा है कि विश्वविद्यालय का यह निर्णय उनकी समझ से बाहर है। क्योंकि, इकबाल को न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। वे एक उच्च कोटि के कवि के साथ-साथ चिंतक भी थे। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख संगीत कुमार रागी के दबाव में लिया गया है, जोकि दक्षिणपंथी विचारधारा से संबंधित हैं और उनका संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। मुस्लिम नेता डॉ. तसलीम रहमानी ने मांग की है कि इस निर्णय को वापस किया जाए। क्योंकि इस निर्णय का आधार एक विशेष राजनीतिक विचारधारा है।

केंद्रीय समाज सुधार कमेटी के संयोजक मौलाना नसीमुल हक कासमी ने कहा है कि इस फैसले के लिए यह तर्क दिया गया है कि इकबाल 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' के समर्थक थे। हालांकि, यह गलत है। डॉ. अबरार रहमानी ने इस फैसले के पीछे एक विशेष विचारधारा को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की प्रमुख डॉ. नजमा रहमानी ने कहा है कि यह फैसला सही नहीं है। मैं यह मानती हूं कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हर विचारधारा और चिंतक को जगह मिलनी चाहिए। अगर आप सावरकर को पढ़ा रहे हैं, तो इकबाल को भी पढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला करने से पहले उसके बारे में छात्रों की राय को भी लिया जाना जरूरी है।

इंकलाब (30 मई) के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से इकबाल के जीवन और उनकी उपलब्धियों से संबंधित अध्याय को हटाकर सावरकर के बारे में अध्याय को शामिल करने की मुसलमानों के एक वर्ग ने निंदा की है। मोहम्मद अब्दुल वहाब ने कहा है कि एक ओर तो इकबाल को पाठ्यक्रम से खारिज कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर, हिंदुत्व के प्रबल समर्थक वी.डी. सावरकर को इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हद तो यह है कि गांधी को सातवें सेमेस्टर में डाल दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र महात्मा गांधी के जीवन और उनकी उपलब्धियों से अनभिज्ञ रहेंगे। उन्होंने शिकायत की है कि आज जिस पार्टी का केंद्र में शासन है, वह जानबूझकर मुसलमानों की उपलब्धियों को हटाना चाहती है।

सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद साबिर कासमी ने कहा है कि इकबाल से संबंधित अध्याय को पाठ्यक्रम से हटाने के जो कारण बताए गए हैं, उनमें कोई दम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण से पहले ही साल 1938 में इकबाल का निधन हो चुका था। वे भारत के अंदर ही मुस्लिम बहुल स्वतंत्र राज्य चाहते थे। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इकबाल को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से खारिज करने के मुद्दे पर देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं से भी संपर्क किया जा रहा है। ■

मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित दो महत्त्वपूर्ण निर्णय

सालार (27 मई) के अनुसार उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग बच्चों को गोद लेने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह सही है कि एक मुस्लिम व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। मगर उन्हें जे.जे. एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित कठोर प्रक्रिया का पालन करना होगा। वे इस मामले में अपनी मर्जी से काम नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि आम तौर पर इस्लामिक देशों में बच्चों को गोद लेने की बजाय संरक्षक उपलब्ध करवाया जाता है। इसलिए हमारा मानना है कि गोद लेने का दावा कानून में टिकाऊ नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अपनी नाबालिग बेटी की गार्जियनशिप को बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। बताया जाता है कि नाबालिग लड़की, जिसकी उम्र इस समय 12 वर्ष की है, को 2015 से अवैध रूप से प्रतिवादी द्वारा हिरासत में रखा गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद उसे उसकी बेटी से मिलने की अनुमति

नहीं दी गई। इस मामले की सूचना पुलिस के साथ-साथ बाल कल्याण समिति को भी दी गई थी। लेकिन इन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की प्रार्थना की। जिन लोगों के कब्जे में याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी थी, उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे बच्ची को अदालत में पेश करें और याचिकाकर्ता के हवाले कर दें। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी को भी गोद लेने का अधिकार नहीं है।

एक अन्य मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को विवाह की अनुमति के विरुद्ध एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चार सप्ताह में उत्तर देने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की पीठ में हुई। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की आड़ में देश में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादियां की जा रही हैं। जांच से यह बात स्पष्ट होती है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी के कारण मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में बच्चों की मृत्यु दर भी ज्यादा देखी गई है।

याचिका में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के यौन शोषण को केंद्र सरकार ने कानूनन जूर्म करार दिया है और इसे रोकने के लिए पॉक्सो जैसा सख्त कानून बनाया गया है। दूसरी ओर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को विवाह की अनुमति दी जा रही है और अधिकांश राज्यों में अदालतें भी उन्हें सरंक्षण प्रदान कर रही हैं। इससे साफ है कि इस मामले पर अदालतें भी विभाजित मत रखती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कर्नाटक की तरह इस मामले में भी सख्त कानून बनाने की मांग की गई है और कहा गया है कि उच्च न्यायालय को इस मामले का नोटिस लेकर आवश्यक आदेश जारी करना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (14 मई) में सैफुर रहमान का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौलाना राबे हसनी नदवी के निधन के बाद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर एक बहस छिड़ गई है। देश के मुसलमान नेताओं के लिए यह जानना जरूरी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं है, बल्कि यह बुनियादी तौर पर शरिया इस्लामिया की रक्षा के लिए बनाया गया एक संगठन है। वर्तमान हालात में सरकार के मुस्लिम विरोधी रूख को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों की रक्षा हो सके।

असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध के लिए कानून

इंकलाब (12 मई) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अभी से ही बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने राज्य में 400 से अधिक मदरसों को स्कूलों में बदलने और उनकी संपत्ति को सरकारी नियंत्रण में लेने के बाद यह घोषणा की है कि 2024 से पूर्व राज्य में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जोकि तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस वर्ष के अंत से पहले असम सरकार इस संबंध में एक कानून बनाएगी। मुख्यमंत्री ने एक ट्विट के जरिए यह कहा था कि असम सरकार ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो इस बात पर विचार करेगी कि क्या राज्य सरकार को बहु पत्नी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है या नहीं?

यह कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धाराओं का भी बारिकी से अध्ययन करेगी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरूद्दीन अजमल ने हिमंत बिस्वा शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने मुस्लिम विरोधी रूख अपना रखा है। कम उम्र में विवाह के नाम पर राज्य के भीतर 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से अधिकांश मुसलमान हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की शादी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यव्यापी अभियान छेड़ा गया था। इसके बाद राज्य भर में नाबालिग लड़कियों के ससुराल वालों की गिरफ्तारी का अभियान शुरू हो गया है।

सियासत (30 मई) ने अपने संपादकीय में यह दावा किया है कि मदरसों को सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने ध्वस्त किया है। क्योंकि इस बात की शिकायत मिली थी कि ये मदरसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अड्डे बने हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सख्ती से निपटा जाएगा और इस मामले में कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उन्होंने कहा कि असम सरकार अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से मुसलमानों के दिलों को जीतने के लिए प्रयत्नशील है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय फिर विवादों में

इंकलाब (20 मई) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि भारत सरकार ने चुपके से विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त कर दिया है। गौरतलब है कि 1981 में एक लंबे आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन करके उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया था, जिसे 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने

असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय को यूपीए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मगर सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने 2016 में इस याचिका को वापस ले लिया।

मुस्लिम क्षेत्रों में यह चर्चा गर्म है कि सरकार ने 1981 के संशोधन को रद्द करके मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को समाप्त कर दिया है। इस समाचार से अलीगढ़ के छात्रों और वहां से शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में भारी बेचैनी फैली हुई है। जबकि कानूनी विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने यह दावा किया है कि इस संशोधन को रद्द करने से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 1920 के मूल एक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब उनकी राय से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार ने इस संशोधन को रद्द करके फिर 1965 जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इंटर-फेथ हार्मनी फाउंडेशन के अध्यक्ष ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का कहना है कि 1965 में भी विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर देश में तूफान पैदा हुआ था।

ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस बात को समझने की जरूरत है कि विश्वविद्यालय कुछ कानूनों के आधार पर चल रही है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ वहां के कर्मचारियों को होता है। उन्होंने कहा कि जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय ही असल में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता पाप्त है। यह दर्जा उसे सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ द्वारा मिला था। इसमें मुसलमानों के लिए 50 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है, जिनमें अन्य अल्पसंख्यक शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के दस वर्ष के शासनकाल में भी इस मुद्दे को हल नहीं किया गया। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक स्वरूप का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

दूसरी ओर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष जेड.के. फैजान ने कहा है कि इस संशोधित एक्ट को 2019 में ही रद्द कर दिया गया था और इससे संबंधित अधिसूचना 8 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। उन्होंने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि इस अधिसूचना के बारे में मीडिया और संसद में कभी चर्चा ही नहीं हुई।

गौरतलब है कि 1965 में विश्वविद्यालय में हंगामा होने के कारण एक अध्यादेश द्वारा विश्वविद्यालय एक्ट को निलंबित कर दिया गया था, जिसके खिलाफ देश भर के मुसलमानों ने जोरदार प्रदर्शन किए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे और हजारों लोग जेल गए थे। इस संघर्ष के कारण 1981 में तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने मुसलमानों की मांग को स्वीकार करते हुए संसद में मुस्लिम विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल कर दिया था। 2005 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार देकर विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को रद्द कर दिया। इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और तब से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था।

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध की तैयारी

सियासत (25 मई) के अनुसार पाकिस्तान में जिस संकट की शुरुआत पिछले महीने हुई थी, वह समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ का कहना है कि नौ मई को हुई घटना के बाद सरकार इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि नौ मई को फौजी ठिकानों पर हुए हमलों को लेकर अब तक जो प्रमाण मिले हैं, उससे साफ होता है कि पीटीआई ने बकायदा योजना के साथ ये हमले किए थे। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने वाले लोगों को पहले भी इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा है। हालांकि, पहले भी पाकिस्तान में विभिन्न राजनीतिक दलों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। मगर ये प्रतिबंध स्थाई साबित नहीं हुए। अगर सत्तारूढ़ गुट ने पीटीआई को इस तरह से समाप्त करने की कोशिश की, तो देश में एक भीषण राजनीतिक संकट पैदा हो जाएगा।

गौरतलब है कि इन हमलों के सिलसिले में अब तक 750 से अधिक इमरान समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सैकड़ों ऐसे लोग, जिन्हें अदालतों ने जमानत दे दी थी, लेकिन अदालत से बाहर निकलते ही फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी शासकों ने जनता को चेतावनी दी है कि इन हिंसक प्रदर्शनों में भाग लेने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सैनिक अदालतों में मुकदमें चलाए जाएंगे। नौ मई के बाद से इमरान खान की पार्टी के एक दर्जन से ज्यादा सांसद और पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। इमरान खान ने आरोप लगाया है कि इन लोगों को पार्टी से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला गया था।

इमरान खान को पिछले वर्ष सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तब से वे पाकिस्तानी सेना की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इस महीने के प्रारंभ में इमरान खान ने सेना पर उन्हें अपहरण करने का आरोप लगाया था। इससे पूरी सेना इमरान विरोधी हो गई है। कराची के पत्रकार तौसीफ अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना को जो भी चुनौती देता है, उसे उसका कोपभाजन बनना पड़ता है। इमरान खान के

खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है और उनके फिर से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। उनके कई प्रमुख साथियों पर इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे इमरान खान से अलग हो जाएं। इस तरह से उनकी पार्टी को पाकिस्तान के राजनीतिक क्षितिज से समाप्त कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद की पत्रकार नूर फातिमा का कहना है कि इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने से पाकिस्तान के वर्तमान शासकों को ज्यादा नुकसान होगा।

इत्तेमाद (15 मई) के अनुसार देश भर में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। हाल के हंगामों के चलते पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति को अरबों रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इन प्रदर्शनों में 152 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए हैं। जबकि पुलिस की 94 गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है और 22 पुलिस थानों को जला दिया गया है। पाकिस्तानी पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि शरारती तत्व कानून से बच नहीं पाएंगे। रावलपिंडी पुलिस ने सैनिक मुख्यालय पर हमला करने के आरोप में 76 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 26 आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया गया। इन प्रदर्शनों के कारण सेना के भवनों और अन्य उपकरणों की जो तोड़फोड़ की गई है, उससे 80 करोड़ की क्षति हुई है। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन रजा नकवी का कहना है कि इन हंगामों में सिर्फ पंजाब में ही छह अरब की सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। लाहौर में मेट्रो ट्रेन के कई स्टेशनों को आग लगा दी गई, जिनके पुनर्निर्माण पर दो से ढ़ाई अरब रुपये खर्च होने की संभावना है। इमरान खान ने कहा है कि वे पाकिस्तानियों की आजादी के लिए डटकर संघर्ष करेंगे।

इत्तेमाद (16 मई) के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने आरोप लगाया है कि उन्हें विद्रोह के आरोप में दस वर्ष तक जेल में रखने का मंसूबा बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी शासक मेरी पत्नी बुशरा बीबी और मुझे जेल में डालकर जलील करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम की ओर से पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के बाहर प्रदर्शन करने की जो नौटंकी की जा रही है, उसका एकमात्र लक्ष्य यह है कि वे मुख्य न्यायाधीश पर दबाव डाल सकें, ताकि वे संविधान के अनुरूप फैसला न कर सकें। 1997 में पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय पर ऐसा ही हमला किया गया था और इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सैयद सज्जाद अली शाह को हटा दिया गया था। इमरान खान ने कहा कि पकिस्तान के लोगों को मेरा संदेश है कि मैं उनकी सच्ची आजादी के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहूंगा।

इत्तेमाद (27 मई) ने अपने संपादकीय में पाकिस्तन की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना के बीच जो रस्साकशी चल रही है, उसने देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर दी है और इससे जनता में भय और तनाव फैल रहा है। अब तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पाकिस्तान में विपक्ष के खिलाफ सरकारी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तन में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर है। मगर प्रशासन और

सेना के भय के कारण कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों का मानना है कि चोर दरवाजे से उन पर मार्शल लॉ लादा जा रहा है।

हमारा समाज (16 मई) के अनुसार पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने यह आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में हुई व्यापक हिंसा के पीछे इमरान खान और उनके समर्थकों का हाथ है। इससे पूर्व इमरान खान ने यह घोषणा की थी कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो वे देश में आग लगा देंगे। मरियम ने कहा कि पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। इमरान खान को अपनी पार्टी का नाम बदलकर पाकिस्तान तहरीक-ए-दहशतगर्दी रख लेना चाहिए। उन्होंने इमरान खान पर 50 अरब रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने 'अल कादिर ट्रस्ट' के नाम पर अरबों रुपये की सरकारी संपत्ति हड़पी है। उनकी मनोवृत्ति पाकिस्तान विरोधी है और उनके विदेशी एजेंसियों से संबंध हैं, जिनके एजेंडे को इमरान लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।

मौलवी अब्दुल कबीर अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त

रोजनामा सहारा (18 मई) के अनुसार अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके स्थान पर उपप्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अफगान सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें उनके पद से हटाया गया है। मौलवी अब्दुल कबीर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे। इसके साथ ही तालिबान सरकार ने अपने प्रशासन में भारी परिवर्तन किए हैं, जिसका लक्ष्य प्रशासन और मीडिया पर नियंत्रण करना है।

तालिबान के नेतृत्व के विभिन्न गुटों के बीच मतभेद दिन-प्रतिदिन गंभीर रूप लेते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच के मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय फैसलों के लिए गृह मंत्री ने एक विशेष परिषद का गठन किया है, ताकि शासक वर्ग का एक गुट अपने फैसलों को मनमाने तरीके से न थोप सके। बताया जाता है कि हाल ही में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। कुछ महीने पूर्व हक्कानी ने तालिबान के प्रमुख नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा की आलोचना की थी।

जमात–ए–इस्लामी के अमीर पर आत्मघाती हमला

हमारा समाज (21 मई) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख सिराजुल हक को शुक्रवार को एक आत्मघाती हमले का सामना करना पड़ा, जिसमें वे बाल-बाल बच गए। जबकि उनके छह सहयोगी जख्मी हुए हैं। इनमें से एक की हालत चिंताजनक है। आत्मघाती हमलावर की लाश घटनास्थल से बरामद हुई है। यह घटना उस समय हुई जब सिराजुल हक एक अस्पताल में जा रहे थे, जहां पर उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना था। रास्ते में एक व्यक्ति ने उनकी कार को रोककर उन्हें हार पहनाना चाहा। जैसे ही वे हार पहनने के लिए कार से बाहर निकले आक्रमणकारी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और कहा है कि उन्होंने बलूचिस्तान की सरकार को इस हमले की जांच करने और दोषियों का पता लगाने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान में गत दो वर्षों में आतंकवादी हमलों और धमाकों में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें सैकड़ों सुरक्षाकर्मी और आम लोग मारे गए हैं। ■

अमेरिका आतंकी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करेगा

मुंबई उर्दू न्यूज (19 मई) के अनुसार एक अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन व्यापारी तहव्वुर राणा को भारत के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। उस पर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में लिप्त होने का आरोप है। भारत सरकार के अनुरोध पर राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर को भारत के हवाले करने पर सहमति व्यक्त की है। कैलिफोर्निया की जिला अदालत की न्यायाधीश जैकलिन चूलजियान ने अदालत में याचिका के पक्ष और विपक्ष में पेश की गई, सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया और 48 पन्नों का एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अदालत सभी दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद इस

निष्कर्ष पर पहुंची है कि तहव्वुर राणा पर लगाए गए आरोप सही है और उसे अमेरिकी कानून के तहत भारत के हवाले किया जा सकता है। भारत सरकार ने तहव्वुर राणा और उसके बचपन के मित्र डेविड कोलमैन हेडली और अन्य के साथ मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की योजना बनाने का दोषी करार दिया था। डेविड कोलमैन हेडली को दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को दस पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में सीरियल बलास्ट करके छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश के अनुसार भारत ने राणा पर लगाए गए आरोपों के बाद उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिस पर अब अमेरिका भी कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने कहा कि राणा पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, सामूहिक हत्या करने, जाली दस्तावेज बनाने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने का आरोप है, जोकि अदालत में पेश किए सबूतों के अनुसार सही प्रतीत होता है।

इससे पूर्व राणा को 2011 में शिकागो में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। इसके अतिरिक्त उस पर 2005 में डेनमार्क के एक अखबार के कार्यालय पर हमला करने का भी आरोप है। अदालत ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई है और यह मामला उसी के तहत आता है।

अवैध अप्रवासन की रोकथाम के लिए इटली में नया कानून

इत्तेमाद (15 मई) के अनुसार हाल ही में इटली की संसद ने अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए नए कानून को मंजूरी दे दी है। हालांकि, वैध रूप से इटली में दाखिल होने वाले अप्रवासियों को संरक्षण दिया जाएगा। मगर इसके साथ ही अप्रवासियों के लिए कानून सीमित और सख्त कर दिए गए हैं। इटली की सरकार को इस तरह का कड़ा कानून इसलिए पारित करना पड़ा है, क्योंकि पिछले वर्ष के फरवरी महीने में दक्षिणी इटली के समुद्र में एक नाव के डूबने के कारण इटली में अवैध रूप से घुसने का प्रयास करने वाले 90 लोग मारे गए थे।

गौरतलब है कि मानव तस्करों द्वारा अवैध घुसपैठियों को यूरोपीय देशों में शानदार रोजगार दिलाने का लालच देकर भूमध्य सागर के रास्ते अवैध रूप से इटली के तटीय क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। इस वर्ष के मई महीने तक 42 हजार से अधिक अवैध विदेशी घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष के इस अवधि तक के आंकड़ों से चार गुना अधिक हैं। इटली सरकार का दावा है कि क्योंकि इटली में अवैध अप्रवासियों को संरक्षण देने की व्यवस्था है और इसलिए इसका लाभ अप्रवासी उठाते हैं।

रजब तैयब एर्दोगन फिर से तुर्किये के राष्ट्रपति बने

इत्तेमाद (29 मई) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति के चुनाव के दूसरे चरण में रजब तैयब एर्दोगन ने बाजी जीत ली है। उन्हें मतदान के दूसरे चरण में 52 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। जबकि उनके मुख्य विरोधी उम्मीदवार कमाल कलचदारलू को 48 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। इसके साथ ही देश भर में एर्दोगन के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इस्तांबुल में लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने यह दावा किया कि चुनाव परिणाम इस बात का सबूत है कि उनके कार्यकाल में देश में विकास हुआ है। अब इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। विश्व के कई नेताओं, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं, एर्दोगन को उनकी जीत पर बधाई दी है। एर्दोगन पिछले दो दशक से तुर्किये की राजनीति में छाए हुए हैं। अब वे अगले पांच वर्ष तक सत्तारूढ़ रहेंगे।

गौरतलब है कि तुर्किये में राष्ट्रपति के पहले चरण का चुनाव 14 मई को हुआ था। मगर क्योंकि इस मतदान में किसी भी उम्मीदवार को 50 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए 28 मई को राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा करवाना पड़ा। बता दें कि तुर्किये इन दिनों भारी आर्थिक संकट का शिकार है और विदेशी बाजार में तुर्किये की मुद्रा में निरंतर गिरावट आ रही है।

इत्तेमाद (16 मई) के अनुसार राष्ट्रपति पद के तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन द्वारा समर्थन मिलने के कारण एर्दोगन की जीत हुई है। जब एर्दोगन ने राष्ट्रपति के चुनाव अभियान का शुभारंभ किया था, तो उनकी हालत पतली बताई जा रही

थी। इसके बाद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 45 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी। एर्दोगन की पार्टी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे ए.के. पार्टी भी कहा जाता है, साल 2002 से तुर्किये में सत्तारूढ़ है और 2003 से एर्दोगन तुर्किये की राजनीति पर छाए हुए हैं। पहले वे प्रधानमंत्री (2003-2014) थे और अब वे राष्ट्रपति (2014 से) हैं। संसद में एर्दोगन की पार्टी के सांसदों की संख्या 296 से घटकर 266 हो गई है। जबकि रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने 166 सीटें जीती हैं और वह दूसरे नंबर पर रही है।

औरंगाबाद टाइम्स (30 मई) के अनुसार एर्दोगन की शानदार जीत के बाद तुर्किये की सड़कों पर जश्न मनाया गया। एर्दोगन ने कहा कि यह जीत तुर्किये की 8.5 करोड़ जनता की है और यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि तुर्किये संसद के 100 साल के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाग्य का फैसला दो बार के मतदान से हुआ है। अब एकजुट होकर काम करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति सबसे ज्यादा है, जिनके घर 6 फरवरी के भूकंप में तबाह हो गए थे। हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और महंगाई को कम करेंगे।

सियासत (30 मई) के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण में एर्दोगन क्योंकि 50 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं कर सके थे, इसलिए देश में पुनः मतदान करवाना पड़ा। बाद में एक उम्मीदवार द्वारा एर्दोगन के समर्थन से वे चुनाव जीत गए। इन चुनावों का प्रभाव न केवल तुर्किये बल्कि पश्चिमी देशों और मध्य पूर्व की राजनीति पर भी पड़ेगा। तुर्किये में एर्दोगन के 20 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद भी वे फिर से सत्ता में आने वाले तुर्किये के पहले नेता बन गए हैं। वे 15 साल तक सत्ता में रहने वाले कमाल अतातुर्क का पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं।

हालांकि, एर्दोगन के विरोधी उम्मीदवार ने भी उनका डटकर मुकाबला किया था और दोनों में कांटे की टक्कर हुई थी।

एर्दोगन पश्चिमी देशों में अधिक पसंद नहीं किए जाते हैं। यही कारण है कि उनकी जीत को पश्चिमी मीडिया ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है। विश्व की राजनीति में एर्दोगन को रूस के नजदीक माना जाता है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को समाप्त करवाने का प्रयास किया था। मगर वे सफल नहीं हुए। पश्चिमी देशों को तुर्किये की स्वतंत्र विदेश नीति भी पसंद नहीं है। क्योंकि, वे यह चाहते हैं कि एर्दोगन पश्चिमी देशों की कठपुतली के रूप में काम करें, लेकिन एर्दोगन इसके लिए तैयार नहीं हैं।

इत्तेमाद (30 मई) ने अपने संपादकीय में एर्दोगन की जीत का स्वागत किया है। चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए एर्दोगन के प्रमुख विरोधी उम्मीदवार कमाल कलचदारलू ने इस चुनाव को निष्पक्ष मानने से इंकार कर दिया है। तैयब एर्दोगन ने राष्ट्रपति की कार्यावधि समाप्त होने से पूर्व ही संसदीय चुनाव के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव कराने का जो जोखिम उठाया था, उसमें वे सफल रहे हैं।

गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व तुर्किये में सेना ने सत्ता का तख्ता पलटने का प्रयास किया था। मगर एर्दोगन की अपील पर जनता ने सड़कों पर उतरकर उनके इस प्रयास को विफल बना दिया। इससे एर्दोगन की लोकप्रियता का आसानी

से अनुमान लगाया जा सकता है। समाचारपत्र ने कहा है कि एर्दोगन का जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था। उनका बाल्यकाल आर्थिक रूप से काफी संकटपूर्ण था। यहां तक कि उन्होंने बाजार में नींबू पानी भी बेचा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक इस्लामिक मदरसे में हुई थी। बाद में उन्होंने मरमरा विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। 1970-80 के दशक में वे कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीति में सक्रिय थे। बाद में वे नेकमेट्टिन एर्बाकन की राजनीतिक पार्टी इस्लामिक वेल्फेयर पार्टी में शामिल हो गए। विश्व के अखबारों ने हालांकि, एर्दोगन की जीत पर संदेह व्यक्त किया था। मगर उनका अनुमान गलत साबित हुआ और एर्दोगन चुनाव जीतने में सफल रहे।

ईरान द्वारा सऊदी अरब में राजदूत की नियुक्ति

रोजनामा सहारा (24 मई) के अनुसार ईरान ने अपने सबसे योग्य राजनयिक अलीरजा इनायती को सऊदी अरब में अपना राजदूत नियुक्त किया है। जबकि सऊदी अरब भी ईरान में अपने राजदूत की नियुक्ति की घोषणा कर चुका है। साल 2016 से ईरान और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध नहीं थे। मगर कुछ महीने पूर्व चीन में ईरान और सऊदी अरब के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के बाद इन दोनों देशों ने अपने संबंधों को सुधारने की घोषणा की थी। ईरान के नए राजदूत इनायती ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान के सहायक और खाड़ी मामलों के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इससे पहले वे कुवैत में भी ईरान के राजदूत रह चुके हैं।

चीन के प्रयास से यमन में भी ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के साथ सऊदी अरब ने युद्धविराम की घोषणा की है। गौरतलब है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच के संबंध साल 2016 में तब तनावपूर्ण हो गए थे, जब एक शिया विद्वान निम्र अल निम्र को सऊदी अरब में फांसी दी गई थी। इस घटना की ईरान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और तेहरान में सऊदी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच के राजनयिक संबंध समाप्त हो गए थे।

इस वर्ष के मार्च महीने में चीन के प्रयास से बीजिंग में ईरान और सऊदी अरब के अधिकारियों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के देश में फिर से दूतावास खोलने, विमान सेवा शुरू करने और दोनों देशों के नागरिकों को वीजा देने की घोषणा की थी।

इराक की एशिया और यूरोप को जोड़ने की योजना

सियासत (29 मई) के अनुसार इराक ने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को जोड़ने के लिए सड़क और रेल मार्ग बनाने की योजना की घोषणा की है। इस योजना द्वारा वह खुद को आवागमन और परिवहन के केंद्र के रूप में पेश करना चाहता है। इस परियोजना पर 17 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है और इसे विकास के मार्ग की संज्ञा की दी गई है। यह मार्ग तुर्किये की उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिण की खाड़ी तक दो हजार किलोमीटर लंबा होगा।

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक में यह घोषणा की। इसके निर्माण कार्य को तीन से पांच वर्ष के अंदर पूरा करने की योजना है। इससे युद्ध से तबाह और भ्रष्टाचार के मकड़जाल में फंसे इराक को अपने बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने का मौका मिलेगा और इसके कारण इराक, तुर्किये और यूरोप के देशों के बीच व्यापार और लोगों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के प्रथम चरण के रूप में खाड़ी के तट पर स्थित इराक के बंदरगाह अल फॉ की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत बसरा, बगदाद, मोसूल के साथ-साथ तुर्किये की सीमा तक 15 नए नगरों का विकास किया जाएगा।

सऊदी अरब अंतरिक्ष में यात्री भेजने में सफल

इंकलाब (23 मई) के अनुसार नासा, सऊदी

स्पेस अथॉरिटी और अन्य दो संगठनों के संयुक्त सहयोग से एक विशेष मिशन के तौर पर सऊदी अरब के दो अंतरिक्ष यात्रियों रेयाना बरनावी और अली अल-कर्नी को अंतरिक्ष में भेजा गया है। 'फाल्कन 9' नामक अंतरिक्ष यान अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए लांच किया गया है। इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिट्सन और अमेरिकी व्यापारी जॉन शौफ्नर भी अंतरिक्ष में गए हैं।

गौरतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना सऊदी सरकार का विशेष कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य अंतरिक्ष के लिए सऊदी कैडर को तैयार करना और अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान में हिस्सा लेना है।

ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर झड़प

इत्तेमाद (29 मई) के अनुसार ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुई झड़पों में कम-से-कम छह लोग मारे गए हैं, जिनमें चार ईरानी सैनिक शामिल हैं।

अवधनामा (29 मई) के अनुसार ईरानी पुलिस के उप प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल कासिम रजाई ने यह आरोप लगाया है कि तालिबान के सशस्त्र सैनिकों ने ईरानी पुलिस के एक पोस्ट पर हमला किया, जिसका जवाब ईरानी सीमा बल के जवानों ने दिया। इस दौरान दिन भर झड़पें जारी रहीं। इस तरह की झड़पें कम-से-कम पांच सीमावर्ती क्षेत्रों में भी हुई हैं, जोकि ईरान के प्रांत सिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के प्रांत निमरोज में स्थित हैं। इस झड़प के दौरान दोनों तरफ से विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया। झड़प शुरू होने के बाद अफगानिस्तान में ईरान के दूतावास और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बीच आपस में बातचीत भी हुई थी। मगर इस बातचीत के बाद भी दोनों देशों के सीमावर्ती रक्षकों में झड़पें जारी रहीं। ईरान के पुलिस प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा रादान ने ईरानी सीमा सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिया है कि वे अफगानिस्तान सेना द्वारा किए जा रहे हमले का मुंहतोड़ जवाब दें, ताकि भविष्य में किसी को भी ईरान की सीमा का उल्लंघन करने की हिम्मत न हो। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के किसी भी सीमा अतिक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्प हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद रसूल मौसवी ने ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर होने वाली झड़पों को 'साम्राज्यी ताकतों' का कारनामा बताया है। उन्होंने कहा है कि हम एक मुस्लिम देश के साथ किसी तरह की आक्रामक कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

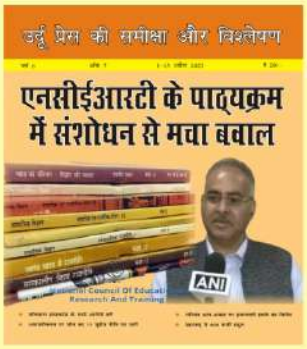

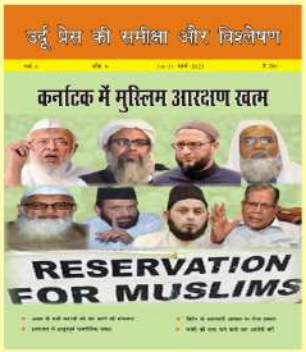

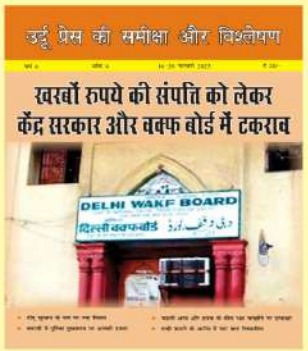

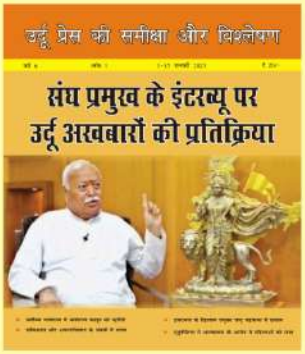

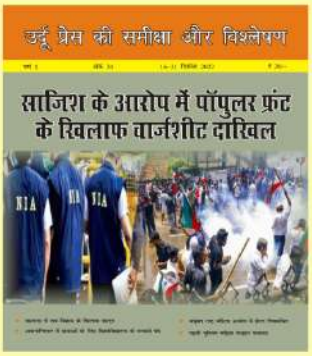

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in